मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :– स्वाति गुप्ता आर.ए.एस
राजस्व वाद संख्या :–195/2024

1. राजेन्द्र पुत्र भानीराम जाति जाट निवासी मिर्जावालीमैर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. विजयसिंह पुत्र भानीराम जाति जाट निवासी मिर्जावालीमैर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. रमेश पुत्र कालूराम जाति जाट निवासी मिर्जावालीमैर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
4. गौरीशकर पुत्र कालूराम जाति जाट निवासी मिर्जावालीमैर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

– – वादीगण

बनाम

1. रेशमीदेवी पत्नी भानीराम जाति जाट निवासी मिर्जावालीमैर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. राणी पुत्री भानीराम जाति जाट निवासी मिर्जावालीमैर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. कालूराम पुत्र मलूराम जाति जाट निवासी मिर्जावालीमैर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
4. काशीराम पुत्र मलूराम जाति जाट निवासी मिर्जावालीमैर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
5. पालाराम पुत्र मलूराम जाति जाट निवासी मिर्जावालीमैर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
6. लूणाराम पुत्र मलूराम जाति जाट निवासी मिर्जावालीमैर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
7. सुनिता पुत्री कालूराम पत्नी शिशपाल जाति जाट निवासी रामपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
8. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ।
9. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. घोषणा एवं खाता विभाजन

डिक्री दिनांक :– 12.08.2024

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.09.04 16:38:26 IST
Reason: SelfAttested

वादी की ओर से श्री महेश गौड़ अधिवक्ता ... प्रतिवादीगण की ओर से श्री जीतासिंह की उपस्थिति में इस वाद में आज ... स्वाति गुप्ताआर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एव पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि

क. वादी संख्या 1 राजेन्द्र को प्राप्त आराजी :– चक नम्बर 13 ए.जी. के पत्थर नम्बर 207/379(43) किला नम्बर 5/0.253, पत्थर नम्बर 208/379(44) किला नम्बर 1/0.203, 2 ता 5/1.012 हैक्टर।

Scanned with CamScanner

ख. वादी संख्या 2 विजय सिह को प्राप्त आराजी :– चक नम्बर 15 ए.जी. के पत्थर नम्बर 199 / 378(37) किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 / 1.265 हैक्टर।

ग. वादी संख्या 3 रमेश को प्राप्त आराजी :– चक नम्बर 7 एम.जैड.डबल्यू. पत्थर नम्बर 185 / 375(44) किला नम्बर 1, 10, 11, 12 / 1.012 हैक्टर।

घ. वादी संख्या 4 गौरीशंकर को प्राप्त आराजी :– चक नम्बर 7 एम.जैड.डबल्यू. पत्थर नम्बर 185 / 375(44) किला नम्बर 3, 8, 9, 13 / 1.012 हैक्टर।

ड. प्रतिवादी संख्या 3 कालूराम को प्राप्त आराजी :– चक नम्बर 7 एम.जैड.डबल्यू. के पत्थर नम्बर 185 / 375(44) किला नम्बर 2 / 0.253, पत्थर नम्बर 185 / 376(55) किला नम्बर 6 / 0.095, 14, 15 / 0.506 हैक्टर।

च. प्रतिवादी संख्या 4 काशीराम को प्राप्त आराजी :– चक नम्बर 15 ए.जी. के पत्थर नम्बर 198 / 378(38) किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 / 1.265 हैक्टर, चक नम्बर 13 ए.जी. के पत्थर नम्बर 207 / 379(43) किला नम्बर 6 / 0.253, पत्थर नम्बर 208 / 379(44) किला नम्बर 11 / 0.203, 12 ता 15 / 1.012 हैक्टर।

छ .प्रतिवादी संख्या 5 पालाराम को प्राप्त आराजी :– चक नम्बर 8 एम.जैड.डबल्यू. के खाता संख्या 85 / 58 में अंकित कुल 0.962 हैक्टर, चक नम्बर 7 एम.जैड.डबल्यू. के पत्थर नम्बर 185 / 374(41) किला नम्बर 18 ता 20 / 0.759, 21 / 0.228, 22 / 0.228, 23 / 0.228, पत्थर नम्बर 185 / 376(55) किला नम्बर 6 / 0.158, पत्थर नम्बर 186 / 376(54) किला नम्बर 10 / 0.228 हैक्टर।

ज. प्रतिवादी संख्या 6 लूणाराम को प्राप्त आराजी :– चक नम्बर 15 ए.जी. के पत्थर नम्बर 198 / 379(52) किला नम्बर 1, 10 / 0.506, 9 / 0.114, पत्थर नम्बर 198 / 378(38) किला नम्बर 20, 21, 22 / 0.759 हैक्टर, चक नम्बर 13 ए.जी. के पत्थर नम्बर 208 / 379(44) किला नम्बर 10 / 0.203, 11 ता 15 / 1.012, पत्थर नम्बर 207 / 379(43) किला नम्बर 4 / 0.253 हैक्टर।

आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर खाता तकसीम कर रकमराज अलग से कायम कर चक नम्बर 8 एम.जैड.डबल्यू. के खाता संख्या 85 / 58 मे से प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 व 6 का नाम कलमजन, चक नम्बर 7 एम. जैड.डबल्यू., के खाता संख्या 91 / 86 में प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 4, 6 का नाम कलमजन व प्रतिवादी संख्या 3 का हिस्सा कम चक नम्बर 13 ए.जी. के खाता संख्या 51 / 50 में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 व 5 का नाम कलमजन, चक नम्बर 15 ए.जी. के खाता संख्या 100 / 55 मे से प्रतिवादीगण संख्या प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 व 5 का नाम कलमजन, चक नम्बर 15 ए.जी. के खाता संख्या 100 / 55 मे दर्ज वादी संख्या 2 का नाम बद्रीलाल के स्थान पर विजयसिह नाम अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी, इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेंगे। यह निर्णय आज दिनांक 12.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.09.04 16:38:26 IST
Reason: SelfAttested

मुहर

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

Scanned with CamScanner